भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 986

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 29 अप्रैल, 2016 को दिया गया)

<u>सांसद आदर्श ग्राम योजना को सीएसआर धनराशि</u>

986. श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सांसद आदर्श ग्राम योजना में सीएसआर धनराशि के विपथन को अनुमति देने के लिए कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 में संशोधन करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्री अरूण जेटली)**

(क) से (ग): कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-VII में उन कार्यकलापों की सूची दी गई है जो कंपनियों द्वारा उनकी सीएसआर नीति के अंतर्गत शुरू किए जा सकते हैं। कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 18 जून, 2014 को जारी सामान्य परिपत्र में सुझाव दिया गया है कि अनुसूची-VII में दर्शायी गई मदों की उदार रूप से व्याख्या की जा सकती है ताकि समग्र विकास को प्रभावित करने वाले व्यापक कार्यकलापों को इसमें शामिल किया जा सके। अनुसूची-VII में "सांसद आदर्श ग्राम योजना" शामिल करने का कोई प्रस्ताव इस मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

*****